(घ) ग्राम परिषद को प्रदत्त शैक्षिक संस्थानों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य;

(ङ) विद्यार्थियों की नियमितताओं, शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

4. सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में :–

लोगों को स्वावलम्बी, उद्योगी तथा सहयोगी मानसिकता वाले बनाने के लिए उनके बीच नई दृष्टिकोण पैदा करने तथा विशेष रूप से :–

(क) सूचना केन्द्रों, सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों और आमोद–प्रमोद केन्द्रों की स्थापना तथा अनुरक्षण;

(ख) सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए युवा क्लब, महिला क्लब तथा कृषक संगठन जैसे सस्थानों की स्थापना और पहले से ही स्थापित संस्थानों को प्रोत्साहित करना;

(ग) ग्राम रक्षा दलों की स्थापना ;

(घ) शारीरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा;

(ङ) स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनो की स्थापना;

(च) ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण और उनकी सेवाओं का उपयोग करना;

(छ) बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना ।

5. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में :–

(क) रोजगार तथा उत्पादों में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण संस्थानों के समन्वय के लिए योजना बनाना ;

(ख) आपसी सहयोग के सिद्धान्त पर ग्राम समुदाय में स्वयं सहायता तथा आत्म–निर्भरता में प्रशिक्षण ;

(ग) समुदाय के लाभ के लिए अधिशेष ऊर्जा, संसाधनों और समय का उपयोग;

(ध) प्रशासक द्वारा प्रदत्त विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना ।